# हरियाणा सरकार
## स्कूल शिक्षा विभाग

**आदेश**

**कमांक न0 5/191–2023 एच0आर0जी0–1(2)** **दिनांक, चण्डीगढ 08.11.2023**

प्रायः देखने में आया है कि हरियाणा राज्य के जिला मुख्यालय पर कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाईटस व बाईटस, उप–जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी बिना उपायुक्त महोदय की अनुमति के मुख्यालय छोड जाते है तथा सरकारी अवकाश के दिनो में भी मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति नही बनाये रखते है। जिस कारण जिला प्रशासन के स्तर पर अयोजित की जाने वाली बैठकों व कार्यक्रमों में काफी कठिनाईयो का सामना करना पडता है। कई बार अधिकारी सरकारी अवकाश के दौरान मुख्यालय छोडने उपरान्त अपना मोबाईल भी बंद कर लेते है।

अतः राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाईटस व बाईटस, उप–जिला शिक्षा अधिकारी,, जिला समन्वयक अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी सम्बंधित जिले के उपायुक्त महोदय की अनुमति के बिना कार्यालय/मुख्यालय नही छोडेंगें व सरकारी अवकाश के दौरान भी मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति बनायें रखेंगें। यदि किसी भी अधिकारी के स्तर पर कोई कोताही बरती जाती है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाऐगी।

**आदेशों की दृढता से पालना की जाऐ।**

**सुधीर राजपाल, भ0प्र0से0,**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,**
**स्कूल शिक्षा विभाग,**
**चण्डीगढ।**

**कार्यालय महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला।**

**पृष्ठांकन कमांक 5/191–2023 एच0आर0जी0–1(2)** **दिनांक, चण्डीगढ 15.11.2023**

**इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।**

1. सभी जिला उपायुक्त महोदय, हरियाणा राज्य।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 गुरूग्राम
3. सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य
4. सभी उप–जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य
5. सभी प्राचार्य डाईटस व बाईटस, हरियाणा राज्य
6. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।
7. निजि सचिव, महानिदेशक, सैंकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला।
8. निजि सहायक, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन व सयुक्त निदेशक प्रशासन
9. आई0टी0सैल।

**उप–निदेशक एच0आर0जी0–1**
**कार्यालय महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा**
**पंचकूला।**